

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक 26.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
135	ता.प्र.सं.07 (क्र.621) दि.26.02.2015 (श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया)	(1) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2013 मौसम हेतु गुना जिले के पात्र कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि का शीघ्र भुगतान कराया जाना। (2) खरीफ 2013 मौसम हेतु गुना जिले के 544 कृषकों के राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के बीमा दावों की शीघ्र स्क्रूटनी(जांच) कराकर पात्रता अनुसार बीमा राशि का भुगतान कराया जाना।	(1) क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान भारत सरकार से अंशदान प्राप्त कर राज्य शासन का अंशदान शामिल कर भुगतान तदुपरान्त किया जावेगा। (2) स्क्रूटनी कार्य प्रगति पर है।		
136	ता.प्र.सं.09 (क्र.1904) दि.26.02.2015 (श्री नारायण त्रिपाठी)	(1) सतना जिले की विभिन्न मण्डियों के मण्डी सचिवों एवं मण्डी निरीक्षकों के विरुद्ध अनियमितता एवं कदाचरण संबंधी शिकायतों की शीघ्र जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना। (2) सतना जिले की विभिन्न मण्डियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की लंबित जांचें शीघ्र पूर्ण कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	(1) जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन। (2) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक 26.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
137	ता.प्र.सं.25 (क्र.876) दि.26.02.2015 (श्रीमती ममता मीना)	कृषि उपज मण्डी समिति गुना के तत्कालीन सचिव के विरुद्ध अनियमितता संबंधी प्रकरण की शीघ्र जांच कराई जाकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	श्री आर.आर.पचौरी, तत्कालीन सचिव, कृषि उपज मंडी समिति गुना के विरुद्ध प्रश्नाधीन प्रकरण की जांच प्रक्रियाधीन है । इस जांच के पूर्ण होने पर प्रकरण की वास्तविक स्थिति जात हो सकेगी ।		
138	परि.ता.प्र.सं.03 (क्र.120) दि.26.02.2015 (श्री मोती कश्यप)	कृषि उपज मण्डी समिति, कटनी के अधीन दाल मिलों द्वारा की गई अनियमितताओं में सह-भागी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा दोषी दाल मिलों के विरुद्ध मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी नियम 1972 एवं उप विधि सन् 2000 के प्रावधानों के अनुसार शीघ्र कार्यवाही किया जाना ।	(1) अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं । (2) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (3) जिन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
139	परि.ता.प्र.सं.06 (क्र.306) दि.26.02.2015 (श्री अरुण भीमावद)	शाजापुर जिले की कृषि उपज मण्डी मोहन बड़ोदिया के विभिन्न अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराकर मण्डी समिति स्थानान्तरित किया जाना ।	प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को कराने की कार्यवाही मंडी बोर्ड द्वारा की जा रही है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक 26.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
140	परि.ता.प्र.सं.14 (क्र.497) दि.26.02.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले के सुरखी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कृषि यंत्रों के वितरण में हुई अनियमितता की जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	(1) कलेक्टर द्वारा जांच प्रतिवेदन पर दिये गये निर्णय अनुसार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही की जावेगी । (2) जांच प्रतिवेदन पर दिये गये निर्णय अनुसार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही की जावेगी ।		
141	परि.ता.प्र.सं.27 (क्र.831) दि.26.02.2015 (श्री यशपाल सिंह सिसोदिया)	कृषि सेवा के उन्नयन हेतु "राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स" योजना अंतर्गत मानव सेवा प्रदायकर्ता एजेन्सी के चयन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाना ।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
142	अता.प्र.सं.73 (क्र.1671) दि.26.02.2015 (श्री संजय पाठक)	कटनी जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में अन्नपूर्णा तथा सूरजधारा योजनान्तर्गत कृषकों को बीजों के वितरण में हुई अनियमितताओं की शीघ्र जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना ।	(1) योजनान्तर्गत प्रदाय बीज की पुष्टि हेतु जांच कराई जावेगी । (2) प्रकरण में संयुक्त संचालक, जबलपुर संभाग जबलपुर से जांच कराई जावेगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 26.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
143	ता.प्र.सं.08 (क्र.2935) दि.26.02.2015 (श्री कालूसिंह ठाकुर)	धार जिले के धरमपुरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में अनियमितता करने वाले स्व-सहायता समूहों के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही किया जाना ।	प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर संबंधित समूहों के विरुद्ध अनुबंध के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।		
144	ता.प्र.सं.19 (क्र.350) दि.26.02.2015 (श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर)	टीकमगढ़ जिले के जतारा विकासखण्ड के तहत टौरियाघाट-रतनगुंवा स्टॉप डेम कम काजवे के अधूरे निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाना तथा पूर्व में हुये निर्माण कार्य की विस्तृत तकनीकी जांच वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से कराते हुये गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही किया जाना।	निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत पूर्ण कराए जाने की कार्यवाही की जावेगी । निर्माण कार्य की विस्तृत जांच वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी से कराई जाकर गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी ।		
145	परि.ता.प्र.सं.05 (क्र.253) दि.26.02.2015 (श्री भारत सिंह कुशवाह)	ग्वालियर जिले के खुरेरी बड़ागांव से वाया सिरसोद जिगतिया मार्ग की मरम्मत कराई जाना ।	आगामी पांच वर्षों के संधारण हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलन में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 26.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
146	परि.ता.प्र.सं.25 (क्र.812) दि.26.02.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह "बना")	रीवा जिले के हनुमना विकासखण्ड के अंतर्गत मिसिरगवां-गोपला मार्ग के त्रुटिपूर्ण निर्माण को ठीक कराये जाने की त्वरित कार्यवाही कराई जाना।	शेष कार्य नई एजेंसी से पूर्ण करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।		
147	अता.प्र.सं.13 (क्र.616) दि.26.02.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	सतना जिले की रामपुर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किये गये नियम विरुद्ध कार्यों की शीघ्र जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	कारण बताओं सूचना पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
148	अता.प्र.सं.35 (क्र.943) दि.26.02.2015 (श्री नीलेश अवस्थी)	जबलपुर जिले के मझौली विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत इंदराना में दिनांक 22.01.2012 से 01.11.2013 तक पंचायत पदाधिकारियों एवं सचिव द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में त्वरित विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।	राशि वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।		
149	अता.प्र.सं.53 (क्र.1322) दि.26.02.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	प्रदेश में संचालित विभिन्न ग्रामीण नल-जल योजनाओं के लिये तकनीकी अमले की व्यवस्था करते हुये प्राथमिकता के आधार पर पदस्थी किया जाना।	प्रकरण विचाराधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 26.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
150	अता.प्र.सं.85 (क्र.1873) दि.26.02.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	उज्जैन जिले के महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में मनरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की मजदूरी का भुगतान नोडल बैंक खातों से एफ.टी.ओ. के माध्यम से संबंधित मजदूरों को शीघ्र कराया जाना।	जिले के नोडल बैंक खाते से एफटीओ के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।		
151	अता.प्र.सं.93 (क्र.1927) दि.26.02.2015 (श्री रामलाल रौतेल)	अनूपपुर जिले में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नियमानुसार संधारण न करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही किया जाना।	ठेकेदारों के विरुद्ध अनुबंधानुसार धारा 32 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही प्रचलन में है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

परिवहन विभाग

दिनांक 26.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
152	अता.प्र.सं.88 (क्र.1896) दि.26.02.2015 (श्री बाला बच्चन)	प्रदेश में संचालित यात्री बसों के किराये का डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में हुई गिरावट के अनुपात में युक्तियुक्तकरण किया जाना ।	गठित समिति की बैठक दिनांक 10 फरवरी 2015 को शासन स्तर पर आयोजित की जा चुकी है । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।		